क्रम-संख्या—204

रजिस्ट्रेशन नम्बर—एस०एस०पी०/एल०—
डब्लू०/एन०पी०—91/2014—16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग—4, खण्ड (क)
(सामान्य परिनियम नियम)

लखनऊ, मंगलवार, 18 अक्टूबर, 2022
आश्विन 26, 1944 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

गृह विभाग (पुलिस) अनुभाग—1

संख्या 11/2022/3137/6-पु-1—22-54-2015
लखनऊ, 18 अक्टूबर, 2022

अधिसूचना

प्रकीर्ण

सा0प0नि0—64

पुलिस अधिनियम, 1861 (अधिनियम संख्या 5 सन् 1861) की धारा 2 और धारा 46 की उपधारा (3) के साथ पठित उक्त धारा की उपधारा (2) के खण्ड (ग) के अधीन शक्तियों और इस निमित्त समस्त अन्य समर्थकारी शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी तथा मुख्य आरक्षी सेवा नियमावली, 2015 को संशोधित करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाती हैं।

उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी तथा मुख्य आरक्षी सेवा (तृतीय संशोधन) नियमावली, 2022

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1—(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी तथा मुख्य आरक्षी सेवा (तृतीय संशोधन) नियमावली, 2022 कही जायेगी।

(2) यह गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

नियम 12 का संशोधन

2—उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी तथा मुख्य आरक्षी सेवा नियमावली, 2015 में, नीचे स्तम्भ—1 में दिये गये विद्यमान नियम 12 के स्थान पर स्तम्भ—2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात् :—

स्तम्भ—1 विद्यमान नियम	स्तम्भ—2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
वैवाहिक प्रास्थिति :— 12—ऐसा/ऐसी व्यक्ति— (क) जिसने किसी ऐसे/ऐसी व्यक्ति से विवाह किया हो/की हो, जिसका/जिसकी पहले से जीवित पति/पत्नी हो; या	वैवाहिक प्रास्थिति :— 12—सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए ऐसा/ऐसी व्यक्ति पात्र नहीं होगा/होगी, जिसकी एक से अधिक पति/पत्नियां जीवित हों या ऐसा/ऐसी व्यक्ति पात्र नहीं होगा/होगी जिसने ऐसे/ऐसी व्यक्ति

स्तम्भ–1 विद्यमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
(ख) जिसने पति/पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया हो/की हो, सेवा में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा/होगी: परन्तु राज्य सरकार का यदि इस बात का समाधान हो जाय कि ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार के लिये लागू वैयक्तिक विधि के अधीन ऐसा विवाह अनुज्ञेय है और ऐसा करने के अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है।	से विवाह किया हो जिसकी पहले से एक पति/पत्नी जीवित हो।

आज्ञा से,
संजय प्रसाद,
प्रमुख सचिव, गृह।

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of following English translation of notification no. 11/2022/3137 /6-pu-1–22-54-2015, dated October 18, for general information:

No. 11/2022/3137 /6-pu-1–22-54-2015

Dated Lucknow, October 18, 2022

IN exercise of the powers under clause (c) of sub-section (2) of section 46 *read* with sub-section (3) of the said section and section 2 of the Police Act, 1861 (U.P. Act no. 5 of 1861) and all other powers enabling him in this behalf, the Governor is pleased to make the following rules with a view to amending the Uttar Pradesh Police Constable and Head Constable Service Rules, 2015.

THE UTTAR PRADESH POLICE CONSTABLE AND HEAD CONSTABLE SERVICE (THIRD AMENDMENT) RULES, 2022

Short title and commencement

1. (1) These rules may be called the Uttar Pradesh Police Constable and Head Constable Service (Third Amendment) Rules, 2022.

(2) They shall come into force with effect from the date of their publication in the *Gazette*.

Amendment of rule 12

2. In the Uttar Pradesh Police Constable and Head Constable Service Rules, 2015, *for* rule 12 set out in Column-I below, the rule as set out in Column-II shall be *substituted*, namely:-

COLUMN-I *Existing rule*	COLUMN-II *Rules as hereby substituted*
Marital Status :– 12. No person- (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or (b) Who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person.	**Marital Status:–** 12. A person will not be eligible for appointment to a post in service who has more than one spouse living or a person will not be eligible who contracts marriage with a person who already has a spouse living.

COLUMN-I *Existing rule*	COLUMN-II *Rules as hereby substituted*
shall be eligible for appointment to service: Provided that the State Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other ground for so doing, exempt any person from the operation of this rule.	

By order,
SANJAY PRASAD,
Pramukh Sachiv.

पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 689 राजपत्र–2022–(1072)–599 प्रतियां (कम्प्यूटर / टी0 / ऑफसेट)।
पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 11 सा0 गृह पुलिस–2022–(1073)–2,000 प्रतियां (कम्प्यूट / टी0 / ऑफसेट)।

689 RPH (Grih (Police) anu-I (Niyamavali) 2022 Data-4 e